


नाम न्यायालय


केस संख्या 10/23 T

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा/प्रिस्क्रिप्स सम्म से	विशेष विवरण
	6 $\frac{3}{15}$	पत्रावली प्रस्तुत व-फ-उप-1 उक्त फू डा. ता. पेशी पर बंध करे। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को पेश हो। Bm सहायक कलक्टर जयपुर	
	17 $\frac{3}{25}$	पत्रावली प्रस्तुत व-फ-उप-1 उक्त पत्रावली वागीपरी ने बंध देकर सगु चाहा एक कपसा दिया जाता है डा. ता. पेशी पर तापश्चक्र से बंध करे। पत्रावली काले बंध दिनांक 26/3/25 को पेश हो। Bm सहायक कलक्टर जयपुर	
	28 $\frac{3}{25}$	पत्रावली पेश हुई। सी डिस्ट्रिक्ट एंड वार एरो. जयपुर को कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्ण रूप से दिनांक 3/4/25 को पेश हो।	
	3 $\frac{4}{25}$	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उ. प. पत्रावली अर्थात् अवधि..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक..... 8/4/25 को पेश हो।	
	8 $\frac{4}{25}$	पत्रावली प्रस्तुत व-फ-उप-1 प्रॉप्ट पर बंध सुनी गई। प्रार्थी कोचवला ने कोचवला किया कि विवादित आरसी पर तहरील फाट द्वारा गलतरास से सन् 2005 के प्राची मन्डिर पेन्नाल नोट तैयार कर दिया है जिसकी कोचवला को खारज करवाया जाये। एक प्रार्थी 2 नं. 6 की भी बंध सुनी गई। प्रस्तुत तर्क व दस्तावेज	

फर्द अहकाम

रोलेंडू बनाम सलवाल

नाम न्यायालय ACM डामैरु-मडु
 केस संख्या 10/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>के कठुकर वडी/प्राणी के यह साबित नही किया कि गलत कंकर व्यो किया गया तथा प्राणी को किस प्रकार तपूरणीय शक्ति होगी। किंतु प्राप्त तर्क, दस्तावेजाल अनुपम मामला, सुकीधा का सेटुलन, तपूरणीय शक्ति प्राणी के घट्ट के उतीत नही होगी है। इतः प्राण्ड कंधार निषेधारा खारिज किया जाता है। पत्रावली के मल शुमा देकर वाञ्छित कृत हो</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर जामर न. मडु </p>	